

प्रपत्र-V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अगर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपयुक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाएं)	18	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर वनग्राम मालनी-II को उत्तर बैतूल के परिक्षेत्र भौरा के कक्ष क्रमांक आर.एफ.-154 के 285.700 हेक्टेयर वन क्षेत्र में विस्थापन के प्रस्ताव की अनुशंसा की जाती है।
----	---	----	--

दिनांक: 10.4.2017
स्थान: भोपाल0


(महेन्द्र सिंह धाकड़)
सचिव

म.प्र. शासन वन विभाग
(महेन्द्र सिंह धाकड़)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)